SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

छत्तीसगढ़ राज्य की नरवा, गरुवा, घुरुवा और बाड़ी योजना

अरुणेश कुमार गुप्ता, (Ph.D.) वाणिज्य विभाग
विवेकानंद महाविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Corresponding Author
अरुणेश कुमार गुप्ता, (Ph.D.) वाणिज्य विभाग
विवेकानंद महाविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

shodhsamagam1@gmail.com

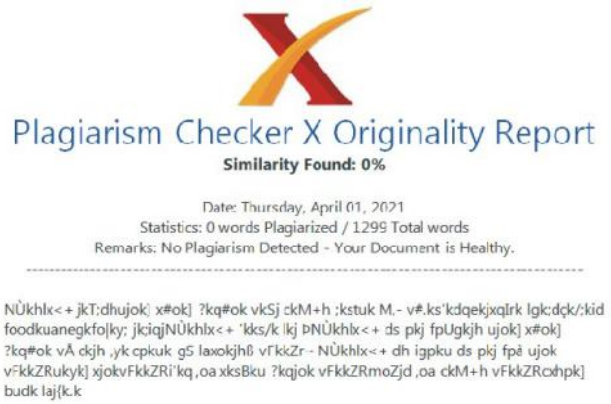

Received on : 01/04/2021
Revised on : -----
Accepted on : 08/04/2021
Plagiarism : 00% on 01/04/2021

शोध सार

"छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी नरवा, गरुवा, घुरुवा अऊ बारी एला बचाना है संगवारी" अर्थात् छत्तीसगढ़ की पहचान के चार चिह्न नरवा अर्थात् नाला, गरवा अर्थात् पशु एवं गोठान घुरवा अर्थात् उर्वरक एवं बाड़ी अर्थात् बगीचा, इनका संरक्षण आवश्यक है। छत्तीसगढ़ राज्य जल संसाधन, वन संसाधन, पशु संसाधन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों का धनी है। छत्तीसगढ़ की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आधारित है। कृषि क्षेत्र के चार महत्वपूर्ण अंश नरवा, गरुवा, घुरुवा एवं बाड़ी को विकसित करने हेतु सुराजी गांव योजना के अंतर्गत नरवा, गरुवा, घुरुवा और बाड़ी योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2019 से की गई है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था के परंपरागत घटकों को संरक्षित तथा पुनर्जीवित करते हुए गांवो को राज्य की अर्थव्यवस्था के केंद्र में लाना है। साथ ही पर्यावरण में सुधार करते हुए किसानों तथा ग्रामीणों की आय में वृद्धि करना है। यह योजना संपूर्ण प्रदेश में लागू है। बाड़ी लगाने के लिए मनरेगा से सहायता प्राप्त हो रही है, इसके साथ ही स्व सहायता समूहो एवं समाज कल्याण की ओर से भी सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए शासन के कृषि एवं संबद्ध विभाग, उद्यानिकी विभाग, पशुपालन विभाग के साथ–साथ ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, राजस्व विभाग, ग्रामोद्योग विभाग एवं ऊर्जा विभाग की भी भूमिका है।

मुख्य शब्द

नरवा, गरुवा, घुरुवा, बाड़ी, गौठान.

प्रस्तावना

1. **नरवा**

छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास का आधार कृषि है। प्रदेश की 80 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या

कृषि और कृषि आधारित कार्यो पर आश्रित है। 'नरवा' का तात्पर्य प्रदेश में उपलब्ध विभिन्न जल स्रोतों जैसे नदी–नालों के जल को संरक्षित करना, कृषि कार्य व पशु–पक्षियों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराना। नरवा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नरवा संरक्षण के माध्यम से कृषि एवं कृषि से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देना है। साथ ही जल स्रोतों का संरक्षण एवं उनको पुनर्जीवित करना ताकि सतही जल बहकर अन्यत्र न जाए एवं भूगर्भीय जल में वृद्धि हो ।

प्रावधान

- 2 हजार से अधिक जलाशयों का वैज्ञानिक ढंग से विकास करना।
- नरवा संरक्षण संरचनाओं का निर्माण इस दृष्टिकोण से किया जाना कि इन संरचनाओं के माध्यम से जल स्रोतों का बहाव गर्मी के दिनों तक उपलब्ध रहे साथ ही भूगर्भीय जल का संवर्धन भी हो।
- प्रत्येक विकासखंड में नालों का चिंहांकन करना।
- भूजल प्रास्पेक्टिव मैप की सहायता से भूजल का अध्ययन करना।
- कृषि संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देकर ग्रामीणों हेतु रोजगार निर्माण करना।
- कृषि आय में वृद्धि करना।

2. ## गरुवा

छत्तीसगढ़ पशुधन में एक समृद्ध राज्य है। पशुधन में गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़ आदि प्रमुख है। ग्रामीण परिदृश्य में पशुपालक उन्नत नस्ल के पशुओं का उचित प्रबंधन नहीं कर पाते हैं तथा पशुओं का रख–रखाव एवं पालन पोषण भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौठान का निर्माण कर पशु संवर्धन का कार्य किया जा रहा है।

प्रावधान

- प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौठान का विकास किया जाना।
- प्रत्येक विकासखंड में एक मॉडल गौठान बनाया जाना।
- गौठानों में गोबर व मिट्टी का उपयोग सिर्फ जैविक खाद के लिए ही नही अपितु मूर्तियों एवं हस्तकला के लिए भी किया जाना।
- हस्तशिल्प प्रदेश के साथ–साथ प्रदेश के बाहर भी बेचा जाना।
- जैविक खेती तथा पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई गोधन योजना का संचालन इन्हीं गौठानों के माध्यम से किया जा रहा है। इनके तहत 2 रु. किलो की दर से गोबर खरीदकर स्व सहायता समूहों के माध्यम से जैविक खाद बनाया जा रहा है।
- 7416 गौठान स्वीकृत है, पूर्ण गौठानों की संख्या 4102, निर्माणाधीन गौठानों की संख्या 2534, अप्रारंभ गौठान 776, मॉडल गौठान 311, सोलर पंप लंग गौठान 1005 तथा बायोगैस लगे गठान 121 है।

3. ## घुरुवा

ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों एवं ग्रामीण जनता के जीवन में घुरुवा एक अभिन्न अंग है। ग्रामीण कृषको द्वारा घुरुवा से प्राप्त खाद का उपयोग फसल, साग–सब्जी, फल इत्यादि के उत्पादन में किया जाता है। घुरुवा खाद के उपयोग से मृदा उर्वरता में सुधार एवं रासायनिक खाद पर निर्भरता में कमी आती है। वर्तमान परिदृश्य में कृषि यांत्रिकीकरण में विधि से जैविक खाद की उपलब्धता एवं उपयोग में कमी आई है। राज्य में कृषको व ग्रामीणों को 'घुरुवा'संस्कृति को संरक्षित रखने की आवश्यकता उत्पन्न हो रही है। अतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था में "घुरुवा संवर्धन" एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस संबंध में वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक ढंग से घुरुवा निर्माण तथा देखरेख हेतु सिद्धांत प्रसारित किए जा रहे हैं, परंतु घुरुवा संवर्धन संरचनाओं में अवशिष्ट

में लोहे के अवशेष, कांच के अवशेष, प्लास्टिक जैसे अवांछित पदार्थ सम्मिलित नहीं किए जाने चाहिए। साथ ही घुरुवा संवर्धन के माध्यम से जैविक खाद उत्पादन में कृषि रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। पशुओं की संख्या आधिक होने पर घुरुवा संवर्धन संरचना के आकार में लंबाई को बढ़ाया जा सकता है किंतु गहराई में वृद्धि नहीं करनी चाहिए।

प्रावधान

- पशुधन का संरक्षण एवं संवर्धन बेहतर करना।
- उन्नत कृषि तकनीकी का उपयोग करते हुए स्थानीय स्तर पर गुणवत्ता युक्त कंपोस्ट निर्माण के विकसित तकनीक स्थापित करना। जिससे रासायनिक खाद पर निर्भरता में कमी आएगी।
- जैविक खाद के उपयोग में वृद्धि से मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन में वृद्धि को सुनिश्चित करना।
- मृदा स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य में सुधार।
- पर्यावरण संरक्षण करना।
- खुली चराई प्रथा में कमी लाना।

4. **बाड़ी**

ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में घरों के आगे पीछे या समीपस्थ खुले क्षेत्रों में बाड़ी होती है जिसमें ग्रामीण कृषकों द्वारा साग सब्जी, फल इत्यादि का उत्पादन किया जाता है। सामान्यतः बाड़ी में उत्पादन वर्षा ऋतु में अधिक प्रचलित है, परंतु यदि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो तो वर्षपर्यन्त बाड़ी में उत्पादन किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों एवं ग्रामीण जनता के जीवन में बाड़ी आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, इसके साथ ही लोगों को पौष्टिकता प्रदान करने में भी बाड़ी का महत्वपूर्ण योगदान है। बाड़ी निर्माण से साग सब्जी व फलों के उत्पादन में वृद्धि से ग्रामीणों की आय में वृद्धि होगी। इसका लाभ शहरी जनसंख्या को भी पौष्टिक व ताजा साग सब्जी व फल प्राप्त करके होगा। बाड़ी में विकास से उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप अन्य राज्यों से आयात की मात्रा में कमी आएगी। अतः यह कहना उचित होगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में "बाड़ी कार्यक्रम" अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। बाड़ी कार्यक्रम के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किए जा रहे हैं।

प्रावधान

- ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढीकरण सुनिश्चित करना।
- गांव के गरीब तबके और कमजोर वर्गों के परिवारों को जिनके घर पर बाड़ी के लिए जगह है किंतु वे बाड़ी की गतिविधि नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें योजना का लाभ देने हेतु चिन्हित कर योजना का क्रियान्वयन करना।
- कृषक परिवारों को पौष्टिकता प्रदान कर कुपोषण मुक्त कराना।
- 4500 गांव में 1 लाख 45 हजार बाड़ियो का उन्नयन करना।
- फल तथा सब्जी उत्पादन के लिए बीजों का वितरण करना।

निष्कर्ष

नरवा, गरुवा,घुरवा और बाड़ी योजना छत्तीसगढ़ की ग्रामीण जनसंख्या के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से भूजल रिचार्ज, सिंचाई की उपलब्धता एवं जैविक कृषि में सहायता प्राप्त हो रही है। साथ ही किसानों को दोहरी फसलें लेने में आसानी हो रही है। इसके तहत पशुओं की उचित देख रेख संभव है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी तथा पोषण स्तर में सुधार होगा। यह अत्यंत ही महत्त्वाकांक्षी एवं चहुँमुखी की योजना है, जिसकी चर्चा देश के बाहर भी हो रही है। इस योजना का विस्तार भविष्य में भी लाभदायक सिद्ध होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार संपूर्ण प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाएगी। उपलब्ध संसाधनों का

अनुकूलतम प्रयोग करके समग्र ग्रामीण विकास करना ही नरवा, गरुवा, घुरवा और बाड़ी योजना का मुख्य उद्देश्य है। यह प्रथम कार्यक्रम है जिसमें ग्रामीण दिनचर्या को रोजगार बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन निश्चित ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था, जीवन स्तर एवं विकास को वृद्धि की ओर अग्रसर करेगा।

संदर्भ सूची

1. www.nggb.cg.nic.in
2. www.cgstate.gov.in
3. www.agricoop.gov.in
4. www.citynewsraipur.com
5. www.patrika.com

****